

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
आदेश

दिनांक 18 सितम्बर, 2025

संख्या 586 / एस0टी0-1.— चूंकि, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 (इसके बाद इसे 'स्कीम' कहा जाएगा) के खण्ड 14 में कहा गया है कि यदि इस स्कीम के किसी प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस योजना के प्रावधानों के साथ असंगत न होने वाले, प्ररूपों में संशोधन सहित ऐसे प्रावधान कर सकते हैं, जो उक्त कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन हों, अतः स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्रों में निम्नलिखित परिवर्तन आवश्यक हैं, अर्थातः—

(i) प्ररूप ओटीएस-2 में, "व्यवस्थापन स्कीम 2025 के अधीन" के बाद " कर निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए" तथा "प्ररूप ओटीएस-1 में आपका आवेदन" के बाद "(आवेदक का नाम तथा टीन/पैन नम्बर)" शब्द जोड़े जाते हैं।

(ii) व्यवस्थापन के अंतिम आदेश, प्ररूप ओटीएस-4 की तालिका (ii) में, व्यवस्थापन के आदेश में कॉलम (ई) अर्थात् 'व्यवस्थापित निर्धारित बकाया देय' कॉलम (डी) के बाद जोड़ा जाता है।

(iii) प्ररूप ओटीएस-5 में, "चूंकि, आपने प्ररूप ओटीएस-1 के माध्यम से हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 का विकल्प चुना है" के स्थान पर "चूंकि, आपने प्ररूप ओटीएस-1 के माध्यम से _____ वर्ष के लिए _____ अधिनियम के तहत, हरियाणा बकाया देयों की वसूली करने हेतु एकबारगी व्यवस्थापन स्कीम, 2025 का विकल्प चुना है" पढ़ें।

यह आदेश 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

चण्डीगढ़
दिनांक 15.09.2025

आशिमा बराड़,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

पृ0 क्रमांक 7451-अक-4-2025 / 4678

चण्डीगढ़, दिनांक 17-09-2025

✓ इसकी एक प्रति मूल फाईल सहित आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अजायब लोदीया
अधीक्षक

कृते: आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी व कराधान विभाग।

Haryana Government
Excise and Taxation Department

Order

The 18 September, 2025

No. 586/ST-I:-Whereas, clause 14 of The Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025 (hereinafter called as 'the Scheme') states that if any difficulty arises in giving effect to any provisions of this scheme, the Government may, by a general or a special order, make such provisions including amendment in forms not inconsistent with the provisions of this Scheme, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficult, the following changes required in the forms appended with the scheme:-

(i) In FORM OTS-2, Words '(name of applicant and TIN/PAN number) after the words 'Form OTS-1, reference no. _____ dated for' and 'for the assessment year(s) _____.' after the words "Outstanding dues, 2025' are inserted;

(ii) In table (ii) of FORM OTS-4, final order of settlement, column (c) namely 'Settled Quantified Outstanding Dues' is inserted after column 'D' of the table;

(iii) In FORM OTS-5, " Whereas, you have opted for the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025 vide FORM OTS-1" be read as "Whereas, you have opted for the Haryana One Time Settlement Scheme for Recovery of Outstanding Dues, 2025 vide FORM OTS-1, for the years _____ under the Act _____".

This order shall come into force with effect from 1st April, 2025.

ASHIMA BRAR

Chandigarh
Dated 15.09.2025

Commissioner & Secretary to Govt. Haryana,
Excise and Taxation Department Chandigarh.

Endst. No. 7451-ET-4-2025/4678

Chandigarh, dated the 17/09/2025

✓ A copy is forwarded to the Excise and Taxation Commissioner, Haryana, Panchkula alongwith the Original file (CFMS no. 7451) for information and necessary action.


Superintendent
for Commissioner & Secretary to Govt. of Haryana,
Excise and Taxation Department Chandigarh.